RAJYA SABHA

Wednesday, 19th March, 1997/
28th Phalguna 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock. The Deputy Chairman in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Creation of Posts of Sorting Postmen and Postmen

*341. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the representatives of the Postal Unions and Federations had met the Secretary, Postal Department on 13th November, 1996 and requested for creation of 140 posts of Sorting Postmen and 2217 posts of Postmen and to get the approval of the Finance Ministry therefor; and

(b) if so, the details of the efforts made by Government in this regard?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी हां। पोस्टल यूनियनों ने, जिनका फेडरेशन आफ नेशनल पोस्टल आर्गेनाइजेशन (एफएनपीओ) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लाइज (एनएफपीई) द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है,विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए सचिव (डाक) से भेंट की। पोस्टमैनों तथा सार्टिंग पोस्टमैनों के औचित्य-सम्मत पदों की मंजूरी का मसला भी उन मामलों में से एक था जिन पर चर्चा की गई।

(ख) डाक विभाग ने समूचे देश के लिए, मानदंडों के अनुसार औचित्य-सम्मत पाए गए सार्टिंग पोस्टमैनों के 162 और पोस्टमैनों के 2458 पदों की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को उसके विचारर्थ 24.01.97 को भेजा गया था।

विभाग को वित्त मंत्रालय से 18 मार्च, 1977 को जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने विभाग से कहा है कि वह अन्य बातों के साथ, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करे तथा इन पदों को सृजित करने के लिए मैचिंग सेविंग्स का आकलन करने के बाद प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं समझता हूं कि पूछने का जो इरादा था, उससे बिलकुल हटकर दिया है। आपके डिपार्मेंट ने 162 सार्टिंग पोस्टमैनों और 2458 पोस्टमैनों की जगहें जस्टिफाइड मानी हैं। देहातों में जब ये लोग डाक बांटने जाते हैं और इतनी जगहें आपके डिपार्टमेंट को भी जस्टिफाइड लगीं तो भी आप वित्त मंत्रालय के पास गए और आपने मान लिया कि अभी ये भरनी नहीं हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है? जब-जब हम सर्किल में मीटिंगों में जाते हैं तो पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं कि हमें वहां से परमीशन नहीं मिल रही है जबकि ये जस्टिफाइड हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं और मेरा यह दूसरा सवाल है कि कितने साल तक आपको ये पोस्टें जस्टिफाइड लगीं और इनको आप क्यों नहीं भर रहे हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: जो जस्टिफाइड पोस्टें थीं, उन्हीं का हवाला हमने अपने मूल उत्तर में दिया है। उसको विभाग ने फेडरेशन की मांग के बाद पूरी तरह से एक्ज़ामिन किया और उनका पूरी तरह से औचित्य पाया गया कि 2458 पदों की मंजूरी मिलनी चाहिए लेकिन 1984 के बाद से विभाग के पास यह अधिकार नहीं है। 1984 के बाद से यह अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है इसलिए हमने उसकी सिफारिश वित्त मंत्रालय को कर दी। वित्त मंत्रालय से कल ही हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है कि इसकी सिफारिशें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ और मैचिंग सेविंग्ज़ का आकलन करने के बाद प्रस्ताव दोबारा प्रस्तुत करें। तो श्रीमन्, हमारे स्तर से जो कुछ हो सकता था... हम खुद महसूस करते हैं कि ये जो सर्विसेज़ हैं, इनकी कमी को पूरा किए बगैर हम पोस्टल सर्विसेज को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, हमें कठिनाई हो रही है खास तौर से शहरों में कठिनाई हो रही है। जहां पर बहुमंज़िला बिल्डिंगें हैं, वहां पर पोस्टें तो बढ़ी नहीं हैं और पोस्टल आर्टिकल्स बढ़ गए हैं। पोस्टमैन अगर नहीं बढ़ेंगे तो सर्विसेज इम्प्रूव नहीं होंगी। हम खुद यह महसूस करते हैं इसलिए हमने वित्त मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा था लेकिन कल फिर उन्होंने एक क्वेरी लगा कर भेजी है। तो हम फिर कोशिश करेंगे और वित्त मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी इस मांग को मान लें क्योंकि इस विभाग से बहुत सारा देश का विकास और देश की सेवाएं जुड़ी हुई हैं।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त डिपार्टमेंट ने कौन-सी क्वायरी निकाली? दूसरी बात यह है कि आपने जो नयी जगह

क्रिएट करनी है, उसे ठोस रूप से आपका डिपार्टमेंट फिर से दृढ़ता से वित्त डिपार्टमेंट के पास जाकर जल्दी से जल्दी ये पोस्ट्स क्रिएट करने की क्या कोशिश करेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदया, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, उतनी कोशिश करेंगे। हमें खुद यह कमी महसूस हो रही है। यूनियन ने जितनी मांग की थी, हमने जो अपने डिपार्टमेंट में ऐक्जामिन किया था, उनकी मांग से ज्यादा नॉर्म्स के मुताबिक हमारे पास जितनी पोट्स की जरूरत है उनको हमने फौरन वहां भेजा और उन्होंने हमें कल ही यह जवाब दिया है कि पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करें और मैचिंग सेविंग्स का आकलन करने के बाद प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: यह बात तो आप मानते नहीं हैं न? ...(व्यवधान)...

उपसभापति: आप बैठिए। वह जवाब दे रहे हैं। वह जवाब कल ही आया है, आप उनका जवाब तो सुन लीजिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैडम, हमको खुद इसके लिए कष्ट है और हम उसका निवारण करेंगे। आपका कष्ट हमारा कष्ट है। हम वित्त मंत्री जी से स्वयं इस संबंध में बात करेंगे और उनको आज ही एक और पत्र लिखेंगे कि इसमें जो विभागीय अड़चनें डाली जा रही हैं, उनको शिथिल करते हुए हमको यह स्वीकृति जल्दी दे दें।

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, the point is, here the Minister has actually accepted that the posts are vacant and it is because of the Finance Ministry that things cannot be done. Two things I would like to know from him in part (a) of my supplementary. I am given to understand that before 1984, the right of recruiting Group C & D employees was with the Department of Posts, and subsequently, that right has been taken away by the Ministry of Finance. Part (a) of my supplementary is whether the Ministry will prepare a note for submitting it to the Cabinet to restore autonomy at least for recruitment. In the old system they were having some kind of autonomy for the Department. When we are saying that for a better functioning of the Department autonomy should be there, will that kind of a thing be there or not? Part (b) of my supplementary is this. In the Budget Speech, the Finance Minister has announced a hike in the postal tariff. So far as the Annual Report of the Ministry is concerned, and also as per the information that is available, there has also been an increase in the earnings in terms of speed post and all that. In view of all that, what is the basis? I am asking this because we are getting stock replies from the Ministers. Where the Ministry of Finance is involved, our questions cannot to properly addressed to unless the Minister of Finance is here. Madam, we also appeal to you to see how this problem can be solved, how the Members' right can be protected because, without the presence of the Finance Minister, we cannot have the reasons for not solving our problems.

उपसभापति: इनका साधारण सवाल यह है कि क्या केबीनेट के पास इस सिलसिले में आप कोई ऐसा प्रपोज़ल बनाएंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: यह जो पद जिनकी इन्होंने मांग की है, इन पर करीब-करीब 11 करोड़ खर्चा आएगा और इकॉनामिक सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से पोस्टल टैरिफ इन्क्रीज़ करने का प्रपोज़ल बजट में किया। इस साल जो स्पीड पोस्ट्स हैं, उसमें करीब 10-11 करोड़ की हमने रैवैन्यू बढ़ गई है। जो माननीय बसु जी ने कहा है, हम इस प्रस्ताव पर जरूर कोशिश करेंगे।

श्री महेश्वर सिंह: उपसभापति महोदया, जैसा कि आपको विदित है और माननीय सदन के सदस्यों को भी विदित है, अभी नीलोत्पल बसु जी ने भी कहा कि वित्त मंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत करते हुए यह बात कही कि पोस्टल टैरिफ इसलिए बढ़ायी जा रही है क्योंकि उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। नये पोस्ट आफिसिज खोलने के लिए भी बहुत प्रस्ताव आये हैं, उन पर भी विचार किया जाना है और आज जो यहां उत्तर पढ़कर बताया है उसमें आपने यह कहा है कि वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि पाचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर जब तक सरकार निर्णय नहीं ले लेती है तब तक प्रतीक्षा करो। अब उस पर तो क्या निर्णय होगा, क्या नहीं होगा, हमें इसकी जानकारी नहीं है। इस प्रकार से तो न तो नौ मन तेल जलेगा और न राधा नाचेगी। महोदया, मैं

माननीय मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहूंगा कि जब वित्त मंत्री सदन में यह कहते हैं कि टैरिफ इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि पोस्टल सर्विसेज में सुधार लाना है और नये पोस्ट आफिसेज खोलने पर विचार करना है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उनके बजट भाषण को ध्यान में रखते हुए।...**(व्यवधान)**...

श्री गया सिंह: महोदया, ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री महेश्वर सिंह: जब इन्होंने यह आश्वासन दिया है और अपने भाषण में कहा कि जब ये पोस्टल टैरिफ बढ़ेगी तो इन नये पदों के सृजन पर और नये पोस्ट आफिसेज खोलने पर भी विचार होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आपको नये पोस्ट आफिसेज खोलने से प्राप्त हुए हैं और जो सभी मापदण्डों को देखते हुए उपयुक्त हैं तो क्या उन पोस्ट आफिसेज को खोलने का आप विचार करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदया, पोस्ट आफ टैरिफ बढ़ाने के पहले हमने वित्त मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी। हमने जो प्रस्ताव भेजे हैं उनके अनुसार इस समय हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अकार्डिंग टू नार्म्स आठ हजार नये पोस्ट आफिसेज खुलने चाहिए लेकिन हमने सिर्फ पांच हजार पोस्ट आफिसेज के लिए प्रस्ताव भेजा है। हमने पोस्ट मैन के पदों की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है कि हमें इतने पदों की स्वीकृति दी जाये। हमने साइमनटैनियस प्रपोजल उनको भेजा है और हमको विश्वास है कि आपकी भावनाएं वित्त मंत्री जी तक पहुंच जायेंगी। हम वित्त मंत्री जी से पुनः वार्ता करेंगे, उनको पत्र भी लिखेंगे और सदन की भावनाओं को देखते हुए वित्त मंत्री जी हमारे आग्रह को अस्वीकार नहीं करेंगे।

SHRI S.S. SURJEWALA: Madam, the Members require the Chair's protection.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, this is not the way.

SHRI S.S. SURJEWALA: They require the Chair's protection. The Minister is taking shelter behind helplessness. It is a question of collective responsibility. *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I understand it. Just one minute.

मंत्री जी मेम्बर्स को यहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके और वित्त मंत्री जी के बीच में तालमेल नहीं है क्योंकि आप सिर्फ उनसे कह रहे हैं और वे आपसे कह रहे हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है ...**(व्यवधान)**...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैडम, ... ये दोनों बातें कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him reply. *(Interruptions)*...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदया, यह लेटर जो आया है यह ब्यूरोक्रेटिक लेटर है। वित्त मंत्री जी से जो हमारी वार्ता हुई है उसमें उन्होंने एग्री किया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute.

सवाल यहां यह है चूंकि मेरे पास बहुत से सप्लीमेंट्री हैं। यह सही सवाल पूछेंगे।

Now I have other questions.

सिर्फ सिम्पल सवाल यह है कि अगर आपसे कहा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट के लिए प्रतीक्षा करो। यदि वेतन आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। जो भी जानकारी है जो बजट में प्रपोजल आये हैं, इतना टैरिफ बढ़ाया है। किसलिए बढ़ाया है, उस पर आप क्या निर्णय ले रहे हैं, आप इसका जवाब दे दें तो मैं आगे बढ़ूं। ...*(Interruptions)*... Let him reply.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदया, हम इसको जल्दी से जल्दी शार्ट आउट कर लेंगे। ...**(व्यवधान)**... हम खुद महसूस कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't get up like this. Please sit down. Don't behave like this. *(Interruptions)*...

अग्रवाल जी प्लीज। कृपया आप बैठिए क्योंकि

मंत्री जी कह रहे हैं कि से शार्ट आउट करेंगे। इसके बाद सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। ...(व्यवधान)... वह यही जवाब देने वाले हैं ...(व्यवधान)...

*342. *[The Question (Shri Virendra Kataria) was absent for answer vide col... infra.]*

Telephone Sanctioned Out-of-Turn

*343. SHRI AMAR SINGH:
SHRI IQBAL SINGH:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of telephone connections sanctioned on out-of-turn priority during the last three years till now under discretionary powers; and

(b) the number of telephones installed in the State of Jammu and Kashmir during that period?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विवेकाधिकार से बिना बारी आधार पर आज तक मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 52929 है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में 849 (आठ सौ उनचास) कनेक्शन बिना बारी आधार पर संस्थापित किए गए थे।

श्री अमर सिंह: माननीय उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से सदन के मार्फत से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि कश्मीर में जो टेलीफोन कनेक्शन दिए गए, उनमें से काफी कनेक्शन जो हैं वे उग्रवादियों को दिए गए? इनमें से एक उग्रवादी का नाम है गुलाम हुसैन खान और यह हिजबुल मुजाहिदीन के टेरोरिस्ट सेल का व्यक्ति था और दूसरी उसके रिश्तेदार रुबैना अख्तर ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. Let me hear what he is asking.

श्री अमर सिंह: माननीय उपसभापति महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको पता है कि कश्मीर में डिसक्रेशनरी कोटे से, संस्तुति के आधार पर जो टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं उनमें एक टेलीफोन गुलाम हुसेन खान, जो हिजबुल मुजाहिदीन के टैरोरिस्ट सेल का सदस्य है उसको, और उसकी रिश्तेदार रुबैना अख्तर को दिया गया? अगर यह सच है तो सरकार को यह बताना चाहिए कि किसने इसकी संस्तुति की थी और किसके कहने से ये टेलीफोन लगाये गए थे, क्योंकि इन टेलीफोनों का जो उपयोग है वह लोगों की हत्याओं और उपद्रवों के लिए किया गया था?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, अब आउट आफ टर्न कोटा खत्म कर दिया गया है। लेकिन फ्रंट लाइन पत्रिका में दिसम्बर, 1996 में इस तरह की खबर छपी थी कि तत्कालीन सरकार ने कुछ टेलीफोन कनेक्शन वहां ऐसे लोगों को, आउट आफ टर्न दिए थे, जिनमें से कुछ टैरोरिस्ट थे। इसकी जांच करने के लिए हमने यह मामला विजिलेंस को सौंप दिया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में हम कोई विस्तृत राय दे सकते हैं। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: कब आपने सौंपा, कब रिपोर्ट आएगी। ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have not identified you. This is Question Hour. Let him put his question.

श्री अमर सिंह: उपसभापति महोदया, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से प्रश्न करना चाहूंगा कि 11 व्यक्तियों, जिनको विशेष रूप से संस्तुति के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन 26 जनवरी, 1996 को तत्कालीन संचार मंत्री द्वारा जारी किए गए थे, यह किसके कहने से जारी किए गए थे? महोदया, यह वही कनेक्शन हैं जिनका उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए किया गया। ये कनेक्शन एडीशनल डाइरेक्टर के आर्डर नं॰ 3657ए/45 दिनांक 16.2.96 के अन्तर्गत जारी किए गए। इसके बारे में मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसकी पूरी जानकारी करके पता लगायें कि किसने इनकी संस्तुति की है, किसकी संस्तुति पर ये टेलीफोन लगाए गए थे, जिनका उपयोग विध्वंसकारी गतिविधियों और तोड़-फोड़ के लिये किया गया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन, हमने विजिलेंस को इन्क्वायरी सौंप दी है और अगर विजिलेंस की

*The question was actually asked on the floor of the House by Shri Amar Singh.